



बिहार विधान परिषद्

दैनिक विवरणिका

संख्या- 15

सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 21.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.40 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते की माननीय सदस्य, श्री लालबाबू प्रसाद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसका समर्थन माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी एवं भाजपा के माननीय सदस्यों ने भी किया।

जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री लालबाबू प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या-4, 5, 16, 26 एवं 35 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है। माननीय सदस्य, शून्यकाल में इसे उठाइएगा।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 155, 156, 157, 158 सदन पटल पर रखे गए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 152 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा न, कि जांच की कार्रवाई चल रही है, जांच रिपोर्ट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-138, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 सदन पटल पर रखे गए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- अ-138 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा कि सदन को खबर कर दी जाएगी, माननीय मंत्री सदन को सूचित कर देंगे।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

प्रश्नोत्तर काल के बाद माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद ने पुनः अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसका समर्थन भाजपा के सभी माननीय सदस्यों ने किया तथा अपने स्थानों से खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे।

3. परिनियत कार्य

माननीय मंत्री, श्री रामविचार राय द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 31 (3) के अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उसपर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज रखी गई।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें।

इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर जोर-जोर से बोलते रहे। जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि चूंकि आपका कार्यस्थगन स्थगित है, इसपर चर्चा नहीं होगी।

सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराहन तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सज्जिदानन्द राय द्वारा सारण जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इसुआपुर के भवन निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री तेज प्रताप यादव ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा भवन निर्माण विभाग में अतिरिक्त समायोजित 8 सहायक विद्युत अभियंताओं एवं 2 कनीय विद्युत अभियंताओं की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस करने के संबंध में ध्यानाकर्षण।

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि इसे स्थगित किया जाता है।

3. माननीय सदस्य, श्री रितलाल राय द्वारा नौबतपुर प्रखंड के नवडीहा ग्राम में सड़क, बिजली, विद्यालय एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि यह ध्यानाकर्षण स्पष्ट नहीं है। इसमें सड़क, बिजली, विद्यालय, चिकित्सा सब एक में ही है। इसलिए इसको फिर से लिखकर दीजिएगा।

4. माननीय सदस्य, श्री राजन कुमार सिंह द्वारा औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के कारा बाजार से जल निकासी के संबंध में ध्यानाकर्षण।

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

5. माननीय सदस्य, श्री देवेश चन्द्र ठाकुर द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत अनुदानित विद्यालयों का अनुदान निर्गत करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

आसन द्वारा बधाई दिया जाना

आसन से माननीय सभापति महोदय ने आसन से माननीय शिक्षा मंत्री, श्री अशोक चौधरी को अनुदान निर्गत करने के लिए बधाई दी।

6. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम के परिवहन कार्य में लगे सीतामढ़ी एवं अन्य जिलों के मजदूरों के पारिश्रमिक की राशि के भुगतान में हुई अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री ने कहा है कि एक सप्ताह में मजदूरों को भुगतान कर दिया जाएगा।

7. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा इंडिया पावर कॉरपोरेशन, बोधगया लिमिटेड को गया जिले में विद्युत सप्लाई एवं रेवेन्यू कलेक्शन से मुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री महेश्वर हजारी ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा है कि हम इसको दिखवा लेते हैं, और अगले सप्ताह में जितनी बातें आई हैं उसके अनुसार उत्तर देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो कमिटी बनाई जाएगी। माननीय मंत्री, अगले सोमवार को वक्तव्य देंगे।

8. माननीय सदस्य, श्री दिनेश प्रसाद सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कपिलदेव कामत ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, आप भी सोमवार को जो-जो प्रश्न आए हैं, उसपर वक्तव्य देंगे कि कौन पैसा कहां, कितना और कब गया, जो भी बातें आई हैं, उसका जवाब देंगे, नियमन हो गया।

6. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर
(परिवहन, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री मो. तनवीर अख्तर

(माननीय सदस्य का भाषण आरंभ होते ही माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

2. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
3. श्री केदारनाथ पाण्डेय

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

4. श्री सूरजनन्दन प्रसाद
5. श्री कमर आलम
6. श्री कृष्ण कुमार सिंह
7. श्री रणविजय कुमार सिंह

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

8. श्री मो. गुलाम रसूल

7. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय सदस्य के भाषण के बीच ही माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह के प्रस्ताव पर कि सरकार का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री चन्द्रिका राय ने वक्तव्य दिया।

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच में ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण उठकर सदन से बाहर चले गये।)

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय मंत्री, डा. अब्दुल गफूर ने बजट भाषण से संबंधित अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

माननीय मंत्री, श्री चन्द्रिका राय ने सूचना एवं जन संपर्क की बजट भाषण से संबंधित पुस्तिका सदन पटल पर रखा।

माननीय मंत्री, श्री तेज प्रताप यादव ने बजट भाषण से संबंधित अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

8. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री मो. गुलाम रसूल
3. प्रो. संजय कुमार सिंह
4. श्री केदारनाथ पाण्डेय
5. श्री संजय प्रसाद
6. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
7. श्री सोने लाल मेहता
8. श्री नीरज कुमार
9. श्री राधाचरण साहू
10. डॉ. रणवीर नन्दन
11. प्रो. नवल किशोर यादव
12. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
13. श्री हीरा प्रसाद बिन्द

माननीय सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन 'निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक 23.3.2017 को
12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

(सुमीम शर्मा)

मुख्य प्रतिवेदक

बिहार विधान परिषद्

पटना, दिनांक 21.3.2017

ज्ञापांक- 385 (3) / वि.प.

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रमोद कुमार)

वरीय प्रतिवेदक

बिहार विधान परिषद्